का॰ ज्ञा॰ सं॰ I/14034/2/2000-रा॰भा॰ (नी॰ 1), दिनांक 16.3.2000

विषय:— अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/समारोहों में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग।

संदर्भ:— (का॰ ज्ञा॰ सं॰ I/15016/04/97-रा॰भा॰ (नी॰ 1), दिनांक 09.06.1998)

अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/समारोहों आदि में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग तथा भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के सदस्यों द्वारा दूसरे देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकों/चर्चाओं/समझौतों आदि में अपने साथियों तथा समकक्ष सहयोगियों के साथ बातचीत में हिन्दी के प्रयोग के संबंध में सरकार द्वारा दिनांक 9 जून, 1998 को उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से निदेश जारी किए थे। इन स्पष्ट आदेशों के बावजूद भी मंत्रालयों/विभागों आदि द्वारा इनका समुचित अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

2. राजभाषा हिन्दी के इस स्वर्ण जयंती वर्ष में पुन: आग्रह किया जाता है कि दिनांक 09 जून, 1998 को जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों का पूरी तरह से पालन किया जाये। सभी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/समारोहों आदि में राजभाषा हिन्दी को सम्मानजनक स्थान दिया जाए तथा उसका अधिकाधिक प्रयोग किया जाये। राजभाषा हिन्दी को विदेशों में उसका उचित स्थान और सम्मान दिलाने के लिए यह परमआवश्यक है कि जब भी देश के शिष्टमंडल विदेशों की यात्रा पर जाएं तो जहां तक व्यावहारिक हो, स्वेच्छा से अपने साथियों तथा समकक्ष सहयोगियों के साथ ऐसे मौकों पर बातचीत में हिन्दी का प्रयोग करें। इससे जहां देश की राष्ट्रीय छवि उज्जवल होती है वहीं देश का गौरव तथा आत्मसम्मान भी बढ़ता है।